परियोजना प्रबन्ध इकाई

उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना

सहभागिता से समृद्धि

पत्रांक सं0: 4651/08-01 लखनऊ, **दिनांक :** सितम्बर 29 2010.

सेवा में,

डी0एम0यू0 अधिकारी,
दुधवा नेशनल पार्क, कतर्नियाघाट, सोहेलवा, काशी एवं
कैमूर वन्य जीव प्रभाग।

विषयः— पारिस्थतिकी विकास समिति (EDC) के उप—नियम का प्रारूप।

सन्दर्भः— पत्रांक 4558/08—01, दिनांक 15 सितम्बर, 2010.

महोदय,

कृपया विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित उक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के उप—नियम का प्रारूप आपके स्तर पर संयुक्त वन समितियों के पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया था।

इसी परिपेक्ष्य में इको--विकास समिति हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र सं0— यू0ओ0—84/14—प0भू0—99—63/97, वन अनुभाग—4, दिनांक 21.05.1999 के माध्यम से निर्गत शासकीय संकल्प के संलग्नकों के अनुरूप उप—नियम तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कम में विभिन्न परियोजना प्रभागों द्वारा प्राप्त फीडबेक को ध्यान में रखते हुए उक्त शासनादेश में उद्धृत परिस्थितिकी विकास समिति के उप—नियम का प्रारूप (अनुसूची—1, प्रपत्र—2— ज्ञापन, प्रपत्र—3— नियम) आपके सुलभ सन्दर्भ एवं प्रयोग हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसको अपने स्तर से संबंधित एन0एस0ओ0, पार्टनर एन0जी0ओ0 व पी0एम0सी0 के एक्सटेशन आफिस कोआर्डिनेटर के मध्य प्रसारित कर दें। यदि कोई समिति किसी स्थिति विशेष के संबंध में इसमें कोई परिवर्तन चाहती है तो अपने स्तर पर ही निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया अपने स्तर से संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के साथ—साथ पारिस्थितिकी विकास समितियों के पंजीकरण हेतु आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

29/9

(रूपक डे)
मुख्य परियोजना निदेशक,
जे0आई0सी0ए0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 4651 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, दुधवा नेशनल पार्क।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कानपुर एवं वन्य जीव, गोण्डा।
3. समस्त परियोजना निदेशक, वित्त नियंत्रक तथा समस्त उप परियोजना निदेशक जे0आई0सी0ए0 परियोजना उ0प्र0, लखनऊ।
4. पी0एम0सी0, निप्पन कोई कं0 लि0, लखनऊ।

29/9

(रूपक डे)
मुख्य परियोजना निदेशक,
जे0आई0सी0ए0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

अनुसूची – 1

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का नाम : ....
2. संरक्षित क्षेत्र का नाम : ....
3. जिला : ....
4. तहसील : ....
5. डाकघर / पुलिस थाना : ....
6. वन क्षेत्र : ....
7. ग्राम की वैधानिक स्थिति : ....
8. क्षेत्रफल : ....

ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर			गवाहों के हस्ताक्षर	
क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर	क्र. सं.	नाम और पता

वन संरक्षक के हस्ताक्षर

नाम : हस्ताक्षर :

प्रपत्र – 2
ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति
ज्ञापन

1. नाम : समिति का नाम – "..................... ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति"

2. कार्यालय : समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम ....
थाना .... पोस्ट ....
तहसील .... जिला .... उ0प्र0 में स्थित होगा।

3. कार्यक्षेत्र : ग्राम .... (जहाँ समिति स्थापित है)।

4. प्रकृति : समिति ग्राम के पारिस्थितिकी विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिये एक स्वायतशासी संस्था है।

5. लक्ष्य एवं उद्देश्य: समिति जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्थापित की गई है यह निम्न प्रकार है:–

(1) जैव विविधता संरक्षण में जन सहयोग सुनिश्चित करना।

(2) संरक्षित क्षेत्र पर स्थानीय जन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

(3) संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के स्थानीय जन के जीविकोपार्जन के साधनों में आवश्यक हस्तक्षेप करना तथा वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराकर संरक्षित क्षेत्रों के संसाधन सुरक्षित करना।

(4) संरक्षित क्षेत्र के जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल भूमि उपयोग को प्रोत्साहन देना।

(5) संरक्षित क्षेत्र तथा उसके अन्तर्गत स्थानीय जन के मध्य पारस्परिक संघर्ष को कम करना।

(6) पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकाल तक जारी रखने योग्य विकास प्रक्रिया की योजना बनाने तथा उन्हे क्रियान्वित करने की क्षमता स्थानीय जनों में विकसित करना।

(7) ऐसा कोई अन्य कार्यक्रम जो उपरोक्त कार्यक्रमों का सहायक हो, को संचालित करना।

6. **कार्यकारी समितिः** निम्न सदस्यों से युक्त कार्यकारी समिति का पंजीकरण, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इस समिति के प्रबन्धन के लिए होगाः–

क्र. सं.	नाम	पदनाम और पता	स्तर	पेशा
1.			अध्यक्ष	
2.			सदस्य	
3.			सदस्य	
4.			सदस्य	
5.			सदस्य	
6.			सदस्य–सचिव कम–कोषाध्यक्ष	राजकीय
7.			स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधि	....

7. **समिति की स्थापना :**

हम अधोहस्ताक्षरी जिनका पेशा और पता निम्नलिखित हैं, एक समिति का समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक समिति के रूप में पंजीयन कर निर्माण करना चाहते हैं जिससे समिति के ज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

दिनांकित ....

क्र.सं.	नाम	पदनाम और पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

प्रपत्र – 3
ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति
नियम

1. **नाम** : समिति का नाम .... ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति होगा।

2. **कार्यालय** : समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम ....
थाना .... पोस्ट ....
तहसील .... जिला .... उ0प्र0 में स्थित होगा।

3. **कार्यक्षेत्र** : ग्राम .... (जहाँ समिति स्थापित है)

4. **प्रकृति** : समिति ग्राम के पारिस्थितिकी विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिए एक स्वायतशासी संस्था/एजेन्सी है।

5. **उद्देश्य** : समिति जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्थापित की गई है यह निम्न प्रकार हैं–

(1) जैव विविधता संरक्षण में जन सहयोग सुनिश्चित करना।

(2) संरक्षित क्षेत्र पर स्थानीय जन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

(3) संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के स्थानीय जन के जीविकोपार्जन के साधनों में आवश्यक हस्तक्षेप करना तथा वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराकर संरक्षित क्षेत्रों के संसाधन सुरक्षित करना।

(4) संरक्षित क्षेत्र का जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल भूमि उपयोग को प्रोत्साहन देना।

(5) संरक्षित क्षेत्र तथा उसके अन्तर्गत स्थानीय जन के मध्य पारस्परिक संघर्ष को कम करना।

(6) पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकाल तक जारी रखने योग्य विकास प्रक्रिया की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता स्थानीय जनों में विकसित करना।

(7) ऐसा कोई अन्य कार्यक्रम जो उपरोक्त कार्यक्रमों का सहायक हो, को संचालित करना।

6. **परिभाषाएं** :

(1) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ0प्र0 में अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 से है।

(2) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य अध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति और ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति से है।

(3) **"कार्यकारी समिति"** से तात्पर्य सात सदस्यीय समिति और जिसमें अध्यक्ष शामिल है, से है जो इस संकल्प के अधीन गठित ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रशासनिक और प्रबन्ध सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन करेगी।

(4) **"वन अधिकारी"** का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया हो।

(5) **"वन दरोगा"** से तात्पर्य ऐसी श्रेणी के व्यक्ति से है जो सम्बद्ध अधिकारी के रूप में या जो वन रेंज अन्तर्गत सेक्शन के पर्यवेक्षण कार्यों को करता है।

(6) **"शासन"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।

(7) **"ग्राम सभा"** ग्राम पंचायत **"प्रधान"** **"उप–प्रधान"** और ग्राम के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 में क्रमशः दिए गए हैं।

(8) **"दिशा–निर्देश"** से तात्पर्य पारिस्थितिकी विकास हेतु शासन के दिशा–निर्देश से है।

(9) **"परिवार"** का अर्थ एक इकाई के रूप में घर में रह रहे अधिवासियों से है।

(10) **"सदस्य"** का तात्पर्य ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्य से है।

(11) **"माइक्रोप्लान"** से तात्पर्य ग्राम स्तर पर प्रबन्धन हेतु पारिस्थितिकी विकास क्रिया–कलापों की योजना से है।

(12) **"संरक्षित क्षेत्र"** से तात्पर्य राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव विहार एवं बायोस्फेयर रिजर्व से है।

(13) **"संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक"** का अर्थ मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा नामित संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी वन अधिकारी से है।

(14) **"परियोजना"** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना से है।

(15) **"परियोजना प्रबन्ध इकाई"** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना की परियोजना प्रबन्ध इकाई से है।

(16) **"क्षेत्रीय वनाधिकारी"** का तात्पर्य कार्यकारी इकाई के प्रभारी अधिकारी से है।

(17) **"संकल्प"** से तात्पर्य पारिस्थितिकी विकास के राजकीय संकल्प से है।

(18) **"समिति"** का तात्पर्य ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति से है।

(19) **"ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति"** का तात्पर्य पारिस्थितिकी विकास के शासकीय संकल्प में उल्लिखित ग्राम स्तर पर गठित समिति से है।

(20) **"वन्य जीव अधिनियम"** का तात्पर्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और इसके संशोधनों एवं नियमों से है जो उ0प्र0 में इसके प्रयोग के लिए बने हैं।

(21) **"वर्ष"** का अर्थ 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है जो कार्यकारी समिति द्वारा निबन्धक की पहले की स्वीकृति से प्रस्तावित है।

7. संरचना :

ग्रामीण पारिस्थितिकी विकास समिति का निर्माण ग्राम के परिवार जिनकी रूचि संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास में है, द्वारा नामित सदस्यों और समिति के पदेन सदस्यों से

मिलकर होता है। संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा नामित सदस्य यथा–सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष और स्वैच्छिक संगठन सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

8. कार्यकारी समिति :

(1) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अन्तर्गत सात सदस्यों की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष समेत पांच सदस्यों का चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष पर ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(2) इनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

(3) इनमें से कम से कम एक सदस्य अन्य पिछड़ी जाति का होगा।

(4) चुने गये पांच सदस्यों में से एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में किया जायेगा।

(5) संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक एक वन दरोगा को कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य–सचिव एवं कोषाध्यक्ष नामित करेगा।

(6) संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक एक स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि को समिति के सदस्य के रूप में नामित करेगा।

(7) इस प्रकार कार्यकारी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगीः–

(अ) अध्यक्ष– ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का अध्यक्ष।

(ब) सदस्य– अनु0जाति/अनु0ज0जाति के (ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति) सदस्यों में से चुना हुआ।

(स) सदस्य– ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों में से निर्वाचित।

(द) सदस्य– ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के महिला सदस्यों में से निर्वाचित।

(य) सदस्य– ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के महिला सदस्यों में से निर्वाचित।

(र) सदस्य– सचिव कम कोषाध्यक्ष– वन दरोगा जो संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा नामित होगा।

(ल) एक स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि जिसको संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा नामित किया जायेगा।

(8) जहाँ अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोई परिवार नहीं होगा वहाँ पर पदों को सामान्य श्रेणी के परिवारों में से भरा जायेगा।

9. व्यवसाय की कार्य विधि :

(अ) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति:

1. अध्यक्ष की सहमति से सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष आम सभा की बैठक आहूत करेगा।
2. आम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत की जायेगी।
3. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति के उपस्थित सदस्यगण (नामित सदस्यों को छोड़कर) बैठक की अध्यक्षता हेतु उन सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे।
4. आम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के एक तिहाई होगी।
5. सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि (सदस्य) को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। इस स्थिति को छोड़कर कि वह ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का सदस्य है।
6. सदस्य सचिव कम कोषाध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव करेगा।
7. सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आमसभा की बैठक का पर्यवेक्षक होगा।

(ब) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारी समिति :

1. आम सभा की बैठक में प्रति तीन वर्ष पर ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा।
2. अध्यक्ष की सहमति से सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी की बैठक आहूत करेगा।
3. कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक हेतु न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कार्यकारिणी की दो चुने हुए सदस्यों से पूर्ण की जायेगी।
4. कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।

5. समिति का अध्यक्ष तभी अपना मत देगा जब दोनों पक्षों के मत बराबर होंगे। अर्थात् अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।
6. सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होगा।
7. स्वैच्छिक संस्था के सदस्य को उस स्थिति को छोड़कर जिसमें वह सदस्य ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का सदस्य हो, मत देने का अधिकार नहीं होगा।
8. आकस्मिक मृत्यु, त्याग पत्र देने या अन्य किसी कारण से कार्यकारिणी में उत्पन्न आकस्मिक रिक्तियों को कार्यकारिणी की आम सहमति से भरा जा सकेगा। उनके सहमति से निर्वाचित सदस्य शेष अवधि तक कार्यालय को संचालित करेगा। त्यागपत्र की इच्छा में एक माह पूर्व सूचित करना आवश्यक होगा।
9. सदस्य सचिव कम कोषाध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव करेगा।

10. कार्य एवं दायित्वः

(अ) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समितिः

1. पारिस्थितिकी विकास क्रिया–कलापों में इसके अध्यक्ष के माध्यम से भाग लेने के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक के साथ प्रपत्र–1 में निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिक करार करना।
2. सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष के माध्यम से एक अभिलिखित जिसमें ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण जैसे– नाम, पिता/पति/पत्नी का नाम, उम्र, पारिवारिक सदस्यों की संख्या आदि अंकित हों, का रख–रखाव करना।
3. पारिस्थितिकी विकास एवं यहाँ निर्गत दिशा–निर्देशों के लिए शासन के प्रस्ताव के साथ सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष के माध्यम से एक कार्यवाही पुस्तिका जहां ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की वार्षिक आम सभा की बैठकों की कार्यवाही अध्यक्ष और सदस्य सचिव कम कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर युक्त संकलित की जायेगी, का रख–रखाव करना।
5. शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी अभिलेखों का रख–रखाव करना।
6. कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करना।

7. माइक्रोप्लान एवं वार्षिक क्रियान्वयन योजना के निर्माण में आवश्यक सहयोग करना।

8. आम सभा की बैठक में पारिस्थितिकी विकास में किये जाने वाले (भावी) क्रिया–कलापों एवं लाभों के विवरण आदि पर विचार विमर्श करना एवं संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक की अनुमति के लिए पारिस्थितिकी विकास हेतु माइक्रोप्लान अनुमोदन हेतु विचार–विमर्श करना। माइक्रोप्लान पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

9. अनुमोदित माइक्रोप्लान पर आधारित वार्षिक क्रियान्वयन प्लान को ग्रहण करना और इसके क्रियान्वयन में सहयोग करना।

10. सदस्यों एवं अन्य क्षेत्रों से प्राप्त जमा धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर के एक सामान्य कोष में रख–रखाव के लिये जमा करना। इस कोष का संचालन कार्यकारिणी द्वारा लिखित प्रस्ताव पर अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव कम कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस कोष में धनराशि जमा करना एवं धनराशि निकालने के विवरण को वार्षिक आम सभा की बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. वनों एवं इसमें स्थित एवं इसके बाहर स्थित वन्य जीवों की इसके या संयुक्त रूप से वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से सुरक्षा में सहयोग करना।

12. किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश एवं जान–बूझ कर या दुश्मनीवश उपरोक्त वन/वनों तथा/या वन्य जीवों को हानि पहुँचाने के प्रयासों के बारे में वन कर्मी को सूचित करना।

13. वन विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से वनों में अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, चराई, आग, अवैध शिकार, चोरी या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उल्लघंन या नुकसान पहुँचाने को रोकना और उसे रोकने के आवश्यक सहयोग करना।

(ब) ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी :

1. अन्य ग्रामीणों को प्राकृतिक संरक्षण के महत्व, कार्मिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना।

2. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के प्रत्येक सदस्य को संरक्षित क्षेत्र संसाधनों की सुरक्षा के साथ ही साथ ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा निर्धारित अन्य दायित्वों के निर्वहन मे संलग्न करना।

3. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के क्रिया–कलाप क्षेत्र में किये जा रहे समस्त वानिकी कार्यों के समयबद्ध सुचारू रूप से क्रियान्वयन में वन विभाग के कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना।

4. वानिकी कार्य के लिये आवश्यक श्रम नियोजन के बारे में सम्बन्धित वनाधिकारियों एवं ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति को सहयोग करना।

5. पारिस्थितिकी विकास माइक्रोप्लान एवं ग्राम के वार्षिक क्रियान्वयन योजना को तैयार करने में सहयोग करना एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर माइक्रोप्लान एवं वार्षिक क्रियान्वयन योजना जो ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आम सभा द्वारा स्वीकार किया गया हो, को संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करना।

6. आम सभा की बैठक से एक पक्ष के अन्तर्गत, प्रति वर्ष एक सूची सदस्यों के नाम, पता, पेशा से युक्त निबन्धक समितियों के समक्ष, समितियां निबन्धक अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत करना।

7. पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन को निश्चित करना ताकि ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्य जिससे अधिकतम लाभ पा सकें।

8. शासन द्वारा स्वीकृत पारिस्थितिकी विकास कोष एवं उत्पादन लाभों की अबाध रूप से लाभार्थियों को उपलब्धता सुनिश्चित करना।

9. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यकलापों के अभिलेखों एवं लेखा का रख–रखाव करना और इन अभिलेखों को निर्धारित अधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

10. किसी सदस्य विशेष जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और/या वन/वन्य जीव के हित में सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी/वन दरोगा/वन रक्षक के विरोध में हो जिसका परिणाम गलती करने पर सदस्यों की सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है, के कार्य कलापों के बारे में सूचित करना।

11. इस अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य को रोकना।

12. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के गलती करने वाले सदस्य सहित किसी भी अपराधी के विरूद्ध बनाये गये नियमों और अधिनियम तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु वन अधिकारियों को सहयोग देना।

11. कोष :

पारिस्थितिक विकास क्रियाकलापों के लिये ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति कोष की व्यवस्था करेगी। जहाँ तक सम्भव होगा शासन एवं अशासकीय संसाधनों जिसमें व्यक्ति एवं ग्राम सभा द्वारा प्राप्त दान सम्मिलित है, से कोष की व्यवस्था की जायेगी। जब कभी शासन पारिस्थितिकी विकास के लिये कोष उपलब्ध करायेगा तो यह कोष किस्तों में संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा शासन के आदेशानुसार जो इसके बारे में समय–समय पर निर्गत किये जायेंगे द्वारा किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

12. लेखा का संचालन :

1. कोष उपरोक्त आइटम नं0 11 से सम्बन्धित अन्य सभी प्रकार की प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में जमा किया जायेगा और ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव कम कोषाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।
2. बैंक से समस्त आहरण ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की पूर्व अनुमति पर किया जायेगा और आहरित धनराशि तथा व्यय का विवरण ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. किये गये व्यय एवं इसके लेखाबद्ध करने की प्रक्रिया समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार होगी।

13. लेखा एवं लेखा परीक्षा :

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति उचित लेखा और आय–व्यय का सुसंगत अभिलेख रखेगी और शासन के निर्देशानुसार एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

2. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति के लेखे की लेखा परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।

14. लाभ का विभाजन :

1. माइक्रोप्लान की लागत का 25 प्रतिशत ग्राम समुदाय के सदस्यों द्वारा वहन किया जायेगा। ग्राम समुदाय अपना योगदान निर्माण सामग्री (भूमि आदि), श्रमिक अथवा निश्चित अवधि के लिये अपने अधिकारों के स्थगन के रूप में करेंगे।
2. व्यक्तिगत लाभार्थी ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति से ऋण अथवा अग्रिम प्राप्त कर सकेंगे। ऋणों अथवा अग्रिम का पूर्ण भुगतान प्रत्येक ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।
3. व्यक्तिगत लाभार्थी न्यूनतम 25 प्रतिशत परियोजना क्रियाकलापों की लागत वहन करेंगे। व्यक्तिगत लाभार्थियों को ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण लागत का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं वितरित किया जायेगा।
4. किसी व्यक्तिगत लाभार्थी को अग्रिम या ऋण की दूसरी किश्त का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह पूर्ण स्वीकृत धनराशि का पूर्ण भुगतान एवं अन्य शर्तों को पूर्णतः पालन नहीं कर लेता।
5. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति का धनराशि कोष सतत् कोष प्रक्रिया स्थापित करने में मदद करेगा जिससे पुनः लम्बी अवधि तक वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने में सुगमता होगी।
6. संरक्षित क्षेत्र से मिलने वाले लाभों को लाभार्थियों के बीच समय–समय पर ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा आम सहमति से स्वीकृत प्रक्रिया के आधार पर वितरित किया जायेगा और उसको अनुमोदित माइक्रोप्लान में सम्मिलित किया जायेगा।

15. सदस्यता विवरण :

1. समिति के सदस्यों का लिखित अभिलेख जिसमें उनके पते वर्गीकरण तथा नामित सदस्यों के अधिकृत पदाधिकारियों का विवरण सम्मिलित होगा रखा जायेगा।

16. सदस्यों की बर्खास्तगी और या ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति को भंग करना :

1. ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति में विवाद होने पर संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी विकास अधिकारी/प्रबन्धक विवाद को समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय करेंगे।
2. अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जो कोई नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में व्यक्तिगत सदस्यता समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 15 के अन्तर्गत बर्खास्त की जायेगी अथवा कार्यकारिणी अथवा ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13, 13 अ और 13 ब के अनुसार संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर भंग की जायेगी।

17. विधिक कार्यवाही :

1. समिति के द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध समस्त वाद और वैधानिक कार्यवाही अध्यक्ष के माध्यम से की जायेगी।
2. समिति की सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अनुबन्ध और प्रत्याभूति अध्यक्ष और पदेन सदस्य सचिव कम कोषाध्यक्ष के द्वारा किये जायेंगे।
3. कार्यकारिणी के द्वारा समिति के संचालन के लिये एक सामान्य मोहर/मुद्रा प्रदान की जायेगी जो समय–समय पर नष्ट कर उसके स्थान पर नई मोहर/मुद्रा प्रदान की जायेगी। मोहर का प्रयोग समिति के दो सदस्यों के साथ ही किया जायेगा।
4. अधिनियम के नियमों, पारिस्थितिकी विकास के शासकीय संकल्प और पारिस्थितिकी विकास के लिये शासकीय दिशा–निर्देश में उल्लेखित नियम, विधि सम्मिलित नहीं किये गये हों उसके लिये भी नियम बनाये जा सकते हैं।

18. संशोधन :

1. यह अनुच्छेद परिवर्तित नहीं किये जा सकेंगे जब तक आम सभा में उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाये और शासन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत न कर दिया जाये।

19. उद्देश्यों में परिवर्तन :

1. समिति के द्वारा उद्देश्य या नियम में पूर्ण या आंशिक संशोधन द्वारा समिति के स्वरूप में परिवर्तन अथवा दूसरी समिति में विलीनीकरण बिना सरकार की पूर्व अनुमति और समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के नियमों के पालन के बिना नहीं किये जा सकते हैं।

20. समिति भंग करना :

समिति का पंजीकरण अधिनियम की धारा–13 और 14 के अनुसार समिति भंग की जा सकती है। शेष सम्पत्ति के प्रयोग के बारे में लाभ और देन–दारी के मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

21. समिति द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का रख–रखाव किया जायेगा :

1. सदस्यता पंजिका
2. कार्यवाही पंजिका
3. भण्डार पंजिका
4. रोकड़ बही
5. शासन द्वारा निर्धारित अभिलेख समिति पंजीकरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समिति द्वारा अन्य आवश्यक अभिलेख का रख–रखाव किया जायेगा।